

सप्तदश बिहार विधान सभा

नवम सत्र दैनिक विवरणिका

संख्या-05

शुक्रवार, दिनांक-14 जुलाई, 2023 ई०।

माननीय अध्यक्ष श्री अवध विहारी चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाहन से 11:04 बजे पूर्वाहन तक।

[1] प्रश्नकाल :-

(i) 01 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।

(ii) 06 अल्पसूचित प्रश्न अपृष्ठ।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गए।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से बार-बार अपने-अपने स्थान पर बैठ जाने एवं सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने का अनुरोध किया गया, परन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही 02:00 बजे अपराहन तक के लिए स्थगित हुई।

मोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 04:19 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[2] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

- माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-323(2) के तहत् बिहार लोक सेवा आयोग के वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा गया।
- माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 के हरित बजट पुस्तिका की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।
- माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुरितका की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

- 4. माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य—कर विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा—99 के तहत् अधिसूचना संख्या—एस०ओ०—189, दिनांक 21.09.2022 की प्रति को सभा मेज पर रखा गया। यह अधिसूचना चौदह दिनों तक सदन पटल पर रहेगी, इस आशय की घोषणा आसन द्वारा की गई।
 - 5. माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा—395 के तहत् नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2017—18, 2018—19, 2019—20 एवं 2020—21 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक—एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।
 - 6. माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री आलोक कुमार मेहता द्वारा बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा–189 के तहत् बनाई गई "बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली, 2023" की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।
 - 7. माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–395 के तहत् बिहार राज्य भंडार निगम से संबंधित वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।
 - 8. माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-166 के तहत् अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-104, दिनांक-01.07.2022; एस०ओ०-105, दिनांक-12.07.2022; एस०ओ०-106, 107, 108, दिनांक-15.07.2022; एस०ओ०-109, दिनांक-12.07.2022; एस०ओ०-110, 111, 112, 113, 114, दिनांक-15.07.2022; एस०ओ०-169, 170, दिनांक-28.07.2022; एस०ओ०-171, 172, 173, 174, 175, दिनांक-29.08.2022; एस०ओ०-176, दिनांक-02.09.2022; एस०ओ०-190, 191, 192, दिनांक-29.09.2022; एस०ओ०-411, दिनांक-07.11.2022; एस०ओ०-487, दिनांक-15.12.2022; एस०ओ०-489, 490, 491, 492, दिनांक-30.12.2022; एस०ओ०-91, दिनांक-11.01.2023; एस०ओ०-107, दिनांक-14.02.2023; एस०ओ०-108, 109, 110, 111, दिनांक-28.02.2023; एस०ओ०-126, दिनांक-21.04.2023; एस०ओ०-127, दिनांक-09.05.2023; एस०ओ०-129, 130, 131, 132, 133, 134, दिनांक-17.05.2023 एवं एस०ओ०-220, दिनांक-13.06.2023 की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया। यह अधिसूचनायें तीस दिनों तक सदन पटल पर रहेगी, इस आशय की धोषणा आसन द्वारा की गई।

[3] याचिकाओं का उपस्थापन :-

सभा सचिव द्वारा 133 याचिकाओं का उपस्थापन सदन में किया गया।

[4] गैर सरकारी संकल्प :--

- (i) 01 गैर सरकारी संकल्प स्वीकृत।
- (ii) 01 गैर सरकारी संकल्प अस्वीकृत।
- (iii) 52 गैर सरकारी संकल्प वापस।
- (iv) 37 गैर सरकारी संकल्प अपृष्ठ।

गैर सरकारी संकल्प संख्या–78 के निस्तारण के पश्चात् आसन द्वारा सदन की सहमति से सदन की अवधि निर्धारित कार्यवाही की समाप्ति तक विस्तारित करने की घोषणा की गयी।

[5] समापन भाषण :--

यथा संलग्न।

तत्पश्चात् बिहार गीत के साथ समा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हुई।

पटना दिनांक-14.07.2023 पवन कुमार पाण्डेय प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।